

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(TAX DIVISION)

Jaipur, dated: 20.03.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (viii-a) of section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government hereby specifies the Rajasthan Tax Board constituted under section 88 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) as the Chief Controlling Revenue Authority.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-204]


By order of the Governor,

  
(Shankar Lal Kumawat)

Jt. Secretary to the Government

Copy forwarded to the following for information & necessary action:-

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur for publication of this notification in part 4(c) of extra ordinary gazette along with a soft copy in CD. Kindly send 10 copies of this notification to this department and 20 copies along with bill to Inspector General, Registration & Stamps, Rajasthan, Ajmer. Please ensure that soft copy in CD is same as hard copy provided to you for publication.
2. Pr. Secretary to Hon'ble Chief Minister (Finance), Rajasthan, Jaipur.
3. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
4. Inspector General, Registration & Stamps, Rajasthan, Ajmer.
5. PS to Additional Chief Secretary, Finance Department.
6. PS to Pr. Secretary, Law Department.
7. PS to Secretary, Finance (Rev.) Department.
8. Director, Public Relation Department, Raj., Jaipur.
9. Additional Director, Finance (Computer Cell) Department, Secretariat, Jaipur.
10. Guard File.

  
Jt. Secretary to the Government

क्रमांक : एफ-7(39)जन/2018-19/4094-4772

दिनांक : 03-04-2018

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को अधिसूचना क्रमांक एफ4(3)एफडी/टैक्स/2018-204 दिनांक 20.03.18 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
  2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
  3. पंजीयक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
  4. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान-जयपुर।
  5. अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान-जयपुर।
  6. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को, कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
  7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
  8. संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय अजमेर।
  9. महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर-302005
  10. उप महानिरीक्षक (प्रवर्तन) मुख्यालय, अजमेर।
  11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को विभाग की वेबसाईट <http://www.igrs.rajasthan.gov.in> पर तत्काल अपलोड करावें।
  12. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वृत्त-जयपुर/जोधपुर
  13. समस्त कौषाधिकारी, राजस्थान।
  14. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
  15. निजी सचिव, महानिरीक्षक/निजी सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन) एवं (प्रवर्तन), मुख्यालय, अजमेर।
  16. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, चौथा तल, बडौदा भवन, प्लॉट नं. 13, दुर्गापुरा, जयपुर-302018
  17. अध्यक्ष, क्रेडाई राजस्थान, 424, चतुर्थ तल, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, एम.आई. रोड, जयपुर-302001
  18. अध्यक्ष, टारुनशिप डवलपर एसोसियेशन ऑफ राजस्थान, प्राईम पेवेलियन, ई-666, नकुल पथ, लालकोठी स्कीम, जयपुर-15
  19. कनफेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री, 3, शिवाजी नगर, सिविल लाईन, जयपुर-302006
  20. अध्यक्ष, भिवाडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, प्लॉट नं. 1, कॉमशियल कॉम्प्लेक्स, इण्डस्ट्रीयल एरिया, चौपानकी, भिवाडी-301019 जिला-अलवर
  21. राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, राजस्थान चैम्बर भवन, एम.आई.रोड, जयपुर-302003
  22. सचिव, ऑल इण्डिया फ़ैडरेशन ऑफ टैक्स प्रेक्टिशनर (CZ), bbissa71@gmail.com, om\_banthia@rediffmail.com
  23. अध्यक्ष, स्टील मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, प्रथम तल, सोमानी बिल्डिंग, लोहामण्डी, संसार चन्द्रा लिंक रोड, जयपुर-302001
  24. फ़ैडरेशन ऑफ राजस्थान, ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री (FORTI) जयपुर।
  25. राजस्थान एक्सचेंज मैमर्स एसोसियेशन, जयपुर।
  26. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
  27. समस्त शाखा, मुख्यालय, अजमेर
  28. समस्त D1 राजस्थान
  29. समस्त डीएकेजीएन (एनएलएन एनए) राजस्थान।
- संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(रेणू जयपाल)

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन)  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग  
राजस्थान-अजमेर